दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

ध्यान दें: ज्वालापुरी के अग्नि प्रभावित पी.वी.सी. व्यापारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ज्वालापुरी स्थित तत्कालीन पी.वी.सी. मार्केट में 06.06.1995 से पूर्व प्लॉट खरीदने वाले जी.पी.ए. /ए.टी.एस. धारकों की, जो अग्नि पीड़ित व्यक्ति थे, टिकरी कलां में पी.वी.सी. व्यापारियों के लिए पुनर्वास योजना के अंतर्गत आबंटन हेतु पात्रता की जाँच कर रहा है।

अतः, समस्त जी.पी.ए./ए.टी.एस. धारक जो 06.06.1995 से पूर्व ज्वालापुरी स्थित तत्कालीन पी.वी.सी. मार्केट में प्लॉट खरीद चुके हैं तथा जिनका उन प्लॉटों का निरंतर कब्जा आज भी है, उन्हें सत्यापन/जाँच के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने का अनुरोध किया जाता है–

1. 06.06.1995 से पूर्व निष्पादित जी.पी.ए./ए.टी.एस. का संबंधित दस्तावेजी प्रमाण
2. 06.06.1995 से पूर्व की पहचान एवं पता प्रमाण जैसे राशन कार्ड, वोटर आई.डी. आदि
3. 06.06.1995 से पूर्व स्वामित्व/कब्जे का प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी का बिल आदि
4. दस्तावेजों की प्रामाणिकता घोषित करने वाला शपथ–पत्र
5. वर्तमान में प्लॉट के कब्जे का प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी का बिल आदि
6. वर्तमान पहचान एवं पता प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि
7. संबंधित प्लॉट के संदर्भ में कोई अन्य सहायक दस्तावेज़

उक्त सभी दस्तावेज़ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने अनिवार्य हैं।

अस्वीकरण – *यह सूचना जनहित में जारी की गई है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त कोई भी दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज़ जमा करने मात्र से किसी प्लॉट पर कोई अधिकार, दावा या हक़ प्राप्त नहीं होगा। प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा तथा प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इसे रद्द या संशोधित कर सकता है।*

हस्ता./–
उप निदेशक (वाणिज्यिक भूमि)
दिल्ली विकास प्राधिकरण

हमें @ddaofficial @official_dda @official_dda_ पर फॉलो करें।
डीडीए वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं अथवा टॉल फ्री नं. 1800 110 332 डायल करें।